रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2081] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2015/आश्विन 2, 1937
No. 2081] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2015/ASVINA 2, 1937

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2015

का.आ. 2630 (अ).– केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 28क की उपधारा (5) के साथ पठित धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12 और धारा 14 द्वारा प्रोक्तव्य शक्तियां, उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के अनुसरण में स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाएंगी।

[फा.सं.1/9/एसएम/2015]

मनोज जोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2015

S.O. 2630 (E).—In exercise of the powers conferred by section 26 read with sub-section (5) of section 28A of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952), the Central Government hereby directs that the powers exercisable by it under sections 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 and 14 of the said Act shall be exercised by the Securities and Exchange Board of India, established under section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), in accordance with the provisions of the said Act.

[F.No.1/9/SM/2015]

MANOJ JOSHI, Jt. Secy.

4094 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.